

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 09/2024

रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 11 वीं फ्लोर, नोर्थ साईड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र 400063 जरिये प्राधिकृत अधिकारी, तरुण मोर्य।

...प्रार्थी

बनाम



1. केशव कुमार पुत्र श्री मांगी लाल गुर्जर (ऋणी)

पता-प्लॉट नंबर 192, गुर्जर मौहल्ला, ग्राम पीपलखेडा, महवा, दौसा राजस्थान-321608

2. केशूला देवी पत्नि श्री केशव कुमार (सह ऋणी)

पता-प्लॉट नंबर 192, गुर्जर मौहल्ला, ग्राम पीपलखेडा, महवा, दौसा राजस्थान-321608

3. जितेन्द्र सिंह पुत्र नारायण (गारन्टर)

पता-301, ब्राहमणों का मौहल्ला, पीपलखेडा, महवा, दौसा, राजस्थान-321608

4. मनीष पोसवाल पुत्र श्री केशव (गारन्टर)

पता-प्लॉट नंबर 192, गुर्जर मौहल्ला, ग्राम पीपलखेडा, महवा, दौसा राजस्थान-321608

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित श्री संजय त्रिवेदी, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 9,50,000/- (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री केशव कुमार गुर्जर पुत्र श्री मांगी लाल गुर्जर की अचल संपत्ति प्लॉट पटटा नंबर- 60, पीपलखेडा ग्राम पंचायत गगवाना पंचायत समिति, महवा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2025 वर्गफीट है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा